पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2017

अनवान :

दरियासिंह पुत्र निम्बोदेवी पत्नी स्व0लालचन्द जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. कमला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. पुनम पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. लिलो पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण पत्नी छोटूराम जाति जाट डूडी हाल निवासी पीलीमन्दोरी तहसील व जिला फतेहाबाद।
4. सन्तोष पत्नी विनोद जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. लोकेश } पुत्रान विनोद जाति जाट निवासी निनाण नाबालिगान जरिये वली
6. मनीष } इष्टमित्र स्वयं माता सन्तोष पत्नी विनोद जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वादी वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 168 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 23, 24, व मु0नं0 33 के किला नं0 3, 4 की कुल 1.518 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि का वादी दरियासिंह खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 से 6 का कोई हिस्सा नहीं है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कमला पत्नी भूपसिंह पुनम व लिलो पुत्र–पुत्री भूपसिंह 3/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर व सन्तोष पत्नी विनोद, लोकेश व मनीष पुत्रान विनोद 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर कौम जाट निवासी निनाण खातेदार कलमजन किया जावे व राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के आगे 1/2 हिस्सा दर्ज है उसको कलमजन कर उपरवर्णित कुल 1.5180 है0 भूमि खातेदारी भूमि का वादी दरियासिंह को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2017

अनवान :

दरियासिंह पुत्र निम्बोदेवी पत्नी स्व0लालचन्द जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. कमला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. पुनम पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. लिलो पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी निनाण पत्नी छोटूराम जाति जाट डूडी हाल निवासी पीलीमन्दोरी तहसील व जिला फतेहाबाद।
4. सन्तोष पत्नी विनोद जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. लोकेश } पुत्रान विनोद जाति जाट निवासी निनाण नाबालिगान जरिये वली
6. मनीष } इष्टमित्र स्वयं माता सन्तोष पत्नी विनोद जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि01955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 215/213 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 21 से 24 मु0नं0 33 के किला नं0 1 से 4, 8, 9 कुल 3.036 है0 कृषि भूमि लालचन्द पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी निनाण की खातेदारी कृषि भूमि थी जो उसकी मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों भूपसिंह व पुत्र दरियासिंह व उसकी पत्नी निम्बो के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। निम्बोदेवी ने अपने हिस्से का हक त्याग अपने दोनों पुत्रों भूपसिंह व दरियासिंह के पक्ष में तर्क कर दिया। इस प्रकार उक्त कुल 12 किला कृषि भूमि के भूपसिंह व दरियासिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये। खातेदार भूपसिंह व दरियासिंह ने सन् 2005 में उपर वर्णित कुल भूमि का खाता व लगान अपने हिस्से के मुताबिक अलग अलग करवा लिया जिसमें भूपसिंह के हिस्सा में मु0नं0 1, 2, 8, 9 की कुल 1.518 है0 कृषि भूमि हिस्सा में आई व वादी दरियासिंह के हिस्सा में मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 23, 24, व मु0नं0 33 के किला नं0 3, 4 की कुल 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि हिस्सा में आई।

इसके बाद सहबन जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 तैयार करते समय लिपिकिय भूल से मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 23, 24 व मु0नं0 33 के किला नं0 3, 4 की कुल 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के भाई भूपसिंह पुत्र निम्बोदेवी पत्नी स्व0 लालचन्द जाति जाट के नाम खातेदारी सम्वत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी में खाता संख्या 168 में दर्ज हो गई जिसकी दुरूस्ती 06.10.2011 को शुद्धि संख्या 14 से किऐ जाने के आदेश हो गये तथा शुद्धि संख्या 14 का नोट लगाते समय तत्कालीन पटवारी ने शुद्धि संख्या 14 में 1.518 है0 बारानी भूमि पूरी वादी दरियासिंह नाम दुरूस्त करने का आदेश होते हुए भी जमाबन्दी में उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा गलत तौर पर दर्ज कर दिया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण ने भूपसिंह की मृत्यु होने पर विरासतन 1/2 हिस्सा का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि में उनका कोई हक हिस्सा नहीं है न ही उक्त भूमि का कोई भाग उसके कब्जा काश्त में है। उक्त 6 किला भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जिसमें वादी ने ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। चूंकि : वाद भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं है वाद भूमि का 1/2 भाग गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है इसलिऐ वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वाद भूमि मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 23, 24 व मु0नं0 33 के किला नं0 3, 4 की 1.518 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं है तथा वाद भूमि में प्रतिवादिया कमला पत्नी भूपसिंह व पूनम, लीलो पुत्र–पुत्री भूपसिंह 3/8 हिस्सा सन्तोष पत्नी विनोद लोकेश व मनीष पिसरान विनोद 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर कौम जाट साकिन निनाण खातेदार की प्रविष्टि कलमजन की जावे व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 215/213 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में अपने हिस्सा की दुरूस्ती करवाकर घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो दस्तावेज यथा् जमाबन्दी खतोनी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2059, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 168/215 सम्वत् 2067–70, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी शुद्धि सं0 14, 315/168, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 167/215 सम्वत् 2067–70, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 27/168 सम्वत् 2071–74, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 128/167 सम्वत् 2071–74, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 215/213 सम्वत् 2063–66 ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे साबित है कि जमाबन्दी खतोनी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2059 में दरियासिंह के नाम 1.518 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड थी परन्तु आगे की जमाबन्दीयात तैयार करते समय सहबन से रिकार्ड में परिवर्तन हो गया तथा

रिकार्ड में दरियासिंह के नाम भूमि कम दर्ज हो गई। चूंकि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के दावा का समर्थन किया है।

अत : वाद वादी डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 168 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 23, 24, व मु0नं0 33 के किला नं0 3, 4 की कुल 1.518 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि का वादी दरियासिंह खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 से 6 का कोई हिस्सा नहीं है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कमला पत्नी भूपसिंह पुनम व लिलो पुत्र–पुत्री भूपसिंह 3/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर व सन्तोष पत्नी विनोद, लोकेश व मनीष पुत्रान विनोद 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर कौम जाट निवासी निनाण खातेदार कलमजन किया जावे व राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के आगे 1/2 हिस्सा दर्ज है उसको कलमजन कर उपरवर्णित कुल 1.5180 है0 भूमि खातेदारी भूमि का वादी दरियासिंह को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़